निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-33/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2017 से 15.06.2017 तक श्री अशोक कुमार, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-II

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0गुप्ता, एवं श्री नीरज श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.05.16 से 23.05.16 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/14 से 03/16 तक एवं व्यय हेतु माह 04/14 से 03/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/16 से 03/17 तक एवं व्यय हेतु माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- विलेखों का पंजीकरण एवं तहसील – हल्द्वानी, कालाढूगी एवं लाल कुआं के समस्त राजस्व ग्राम।

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण :**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1870.61
2015-16	2218.96
2016-17	1888.83

(ii)(ब) **बजट का विवरण:-**

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)`**	**बचत (-)`**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2014-15								
2015-16								
2016-17								

(स) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिरीक्षक निबंधन> जिला निबंधन> उप महानिरीक्षक निबंधक> सहायक निबंधक> मुख्य निबंधन ल पक> निबंधन ल पक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **.....** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-** लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओ का संग्रह कया गया।

राजस्व: माह 03/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया**।**

व्यय: ..... विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

इकाई द्वारा डी0डीओ0 का कार्य सम्पादित नही किया जाता है।

(vii) योजना का चयन :- **शून्य**

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 रजिस्ट्रेशन शुल्क कम लये जाने से राजस्व क्षति ` 0.25 लाख।

रजिस्ट्रेशन अ धनियम, 1908 के परि शष्ट-7 अनुच्छेद-1 की टिप्पणी (1) में यह उल्लेख कया गया है क कसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लये फीस जिसमें कई सु भन्न मामले समाहित हो, ऐसी फीस का योग होगी जो प्रत्येक ऐसे वषय की समाहित करने वाली या उससे सम्बन्धित पृथक-पृथक दस्तावेज पर प्रभार्य होगी ।

कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, हल्द्वानी की माह 04/2016 से 03/2017 की नमूना लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया है क बही संख्या 1 जिल्द संख्या-2564 क्रमांक संख्या-1301 दिनांक 31.03.2017 को खसरा संख्या-259 रकबा-167.28 वर्गमीटर वक्रेता श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री खीमचन्द्र अग्रवाल एवं अ मत अग्रवाल, श्री सु मत अग्रवाल पुत्रगण श्री लक्ष्मण अग्रवाल निवासी मा0 नं0 14/10 गली-1, रामपुर रोड, हल्द्वानी तहसील हल्द्वानी, क्रेता का नाम श्री गौरव गुप्ता एवं श्री सौरभ गुप्ता पुत्रगण स्व0 श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी बमौरी मल्ली तहसील- हल्द्वानी जिला- नैनीताल, भू म का क्षेत्र- बांके ग्राम, बमौरी मल्ली, परगना भावर छः खाता, तहसील- हल्द्वानी से क्रय कया गया था, वलेख की जांच में पाया गया है क वलेख में कहीं भी भू म की खरीद को संयुक्त रूप से अं कत नहीं कया गया था, क्रेताओं के द्वारा अपना-अपना टी0डी0एस0 की रा श के स्थानान्तरण वक्रेता के खाते में की गयी थी । इससे स्पष्ट होता है क क्रेताओं ने अलग-अलग भू म का क्रय कया गया था। निम्नानुसार रजिस्ट्रेशन फीस की अलग-अलग देय होगी । ` 25,000 रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कया गया, शेष ` 25,000 कम दी गयी थी ।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क, जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा ।

अतः ` 25,000 रजिस्ट्रेशन फीस कम लये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 टी0डी0एस0 कम जमा कये जाने से राजस्व क्षति ` 18,500 ।

आयकर अ धनियम, 1961 की धारा 194-1A द्वारा ` 50 लाख या उससे अ धक मूल्य के हस्तान्तरण वलेखों पर 1 प्रतिशत की दर से क्रेता द्वारा TDS की कटौती एवं जमा कये जाने का प्रावधान कया गया है । कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 535/म0नि0नि0/2013-14 दिनांक 27.08.2013 के द्वारा जब तक क TDS जमा चालान वलेख के साथ सम्बद्ध कया जाए एवं चालान को लेखपत्र का भाग बनाया जाए ।

कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, हल्द्वानी के वलेख पत्रों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क बही-1 जिल्द-2564 के पृष्ठ 267 से 304 पर क्रमांक 1301 दिनांक 31.03.2017 को खसरा-259 रकबा 167-28 वर्गमी0 बैनामा की धनरा श ` 74,00,000 वक्रेता- श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री खीमचन्द्र अग्रवाल एवं अ मत अग्रवाल, सु मत अग्रवाल पुत्रगण श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल निवासी मा0 नं0 14/10 गली-1 रामपुर रोड, हल्द्वानी, तहसील-हल्द्वानी, क्रेता का नाम श्री गौरव गुप्ता एवं श्री सौरभ गुप्ता पुत्रगण स्व0 श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी बमौरी मल्ली तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा चालान संख्या-280 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा सौरभ गुप्ता पैन संख्या- BLTPG3684H से ` 18,500 दो चालान की प्रतियां कुल रा श ` 37,000 (` 18,500 + ` 18,500) संलग्न की गई थी, जो क वास्त वक रूप से एक ही था, क्यों क दोनों प्रतियों में एक ही समय अं कत पाया गया है जो इससे स्पष्ट है क एक ही धनरा श ` 18,500 का चालान जमा कराया गया है, दूसरा उसकी छायाप्रति है, इस लये टी0डी0एस0 ` 18,500 की रा श कम जमा करायी गयी है ।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया है क जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । तत्पश्चात् सम्प्रेक्षा को अवगत कराया जायेगा ।

अतः उक्त टी0डी0एस0 की धनरा श ` 18,500 कम जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग–III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
56/2004-05	1	1
53/2010-11	-	01 स्टेन
34/2011-12	-	स्टेन-01

निष्पादन लेखापरीक्षा से संबं धत आप त्तयों मे उल्लि खत बिन्दुओं से संबं धत लेखापरीक्षा आप त्तयां इकाई को प्राप्त नही हुई। अतएव इस संबंध मे कसी प्रकार की टिप्पणी संभव नही है।

व्यय से संबन्धित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: ----शून्य-----

2. **सतत् अनियमितताएः** ----शून्य-----

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री अतुल कुमार शर्मा	उप निबंधक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपनिबन्धक-प्रथम, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र